न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर ए एस

अपील संख्या 14/2017

कृष्णलाल पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 3 केपीडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। ——**अपीलार्थी**

बनाम

1. सुशील कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 3 केपीडी तहसील1 घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
2. उपपंजीयक रावला तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , घडसाना।

——**रेस्पोडेन्टान**

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, घडसाना

दिनांक 07.02.2017

उपस्थिति

श्री सुशील गोदारा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री रविन्द्र बिश्नोई रेस्पों.सं0 1

श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः— 14.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी घडसाना के समक्ष रा.का.अ. की धरा 53, 88, 188 का पेश कर वाद पत्र के अनुतोष में वर्णित भूमि 7.666 है. भूमि में से वादी 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर वादी के हिस्सा से प्रतिवादी सं01 का नाम हटाकर वादी का नाम दर्ज किया जावे, भूमि का किस्म अनुसार बंटवारा का राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज किया जावे तथा प्रवितादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी उक्त भूमि का रहन बैय आदि से मुन्तकिल नहीं करे एवं वादी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे ।

प्रतिवादी सं01 ने दिनांक 15.11.2016 को जबाव दावा एवं प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर कथन कियाकि वादी द्वारा अपने वाद में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है जबकि कानूनन कोई भी व्यक्ति किसी खातेदार काश्तकार के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषण करवाने का वाद पेश नहीं कर सकता। अतः निवेदन है कि प्रा.पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारिज किया जावे ।

वादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रा.पत्र का जबाव पेश कर कथन किया कि वादी द्वारा जो वाद में अनुतोष चाहा गया है वह बिल्कुल सहीं है एवं अनुतोष पाने का वादी अधिकारी है। अतः निवेदन है कि प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 07.02.2017 को प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध वादी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी/अपीलांट ने अधी.न्यायालय में वाद पेश किया था जिसका जबाव प्रतिवादीगण ने पेश किया साथ ही प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया जिसका जबाव वादी ने पेश किया । किन्तु अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के तनकीयात बनाये बिना वाद को खारिज कर दिया । दावा एवं जबाव दावा के आधार पर तनकीयात कायक कर उनपर साक्ष्य लेने के पश्चात ही निर्णय करना चाहिए था । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांअ स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण रिमांण्ड किया जावे ।

विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी/अपीलांट खातेदार काश्ताकार के विरूद्ध खातेदारी घोषणा का वाद नहीं ला सकता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

जब वादी को वाद पेश करने का अधिकार ही नहीं था तो अधी.न्यायालय ने प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावें । ।

उभय की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अधी.न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावा खारिज किया गया है की अपील का सार है कि अपीलांट के कथनानुसार रेस्पो. उसका पुत्र है तथा अपीलांट ने ही पैसे खर्च कर विवादित भूमि पुत्र के नाम से क्रय की थी। अतः यह पैतृक सम्पति होकर अपीलांट को खातेदार घोषित किया जाये ।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट का कथन असत्य साबित है, विवादित आराजी रेस्पो. स्वयं द्वारा क्रय कियाक जाना जाहिर किया है एवं यह रिकार्ड से प्रमाणित है कि रेस्पो. विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है के विरूद्ध उस बेचान दस्तावेज के आधार पर तृतीय पक्ष को अनुतोष देना कि उस खरीद के लिए पैसे अपीलांट ने खर्च किये, दावे में संदर्भित नहीं है जो Specific Parformance का मुद्दा होकर सिविल न्यायालय के परीक्षण का बिन्दु है। अतः रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध सिर्फ इस आधार पर वाद लाना कि वह शराबी है baseless है। अतः अधी.न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 का प्रा.पत्र सही रूप से स्वीकार किया है। तद्नुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय दिनांक 14.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/7/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर